मोदी सरकार ने 2047 के विकसित भारत के विजन को साकार करने वाला बजट किया पेश : डॉ.मनसुख मांडविया

- '2014 के बाद से देश में नई कार्यशैली हुई विकसित, सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी और समग्र विकास की सोच के साथ पेश किए गए बजट'
- 'पूर्व पीएम राजीव गांधी ने 21वीं सदी के भारत का सपना देखा, लेकिन साकार करने के लिए नहीं बनाया रोडमैप'

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद थे।

जयपुर। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में मोदी के नेतृत्व में एक नई कार्यशैली विकसित हुई है। सरकार द्वारा बनाए जा रहे बजट में दूरदर्शी सोच रखते हुए सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी और समग्र विकास को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दस सालों में देश को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव काल के दौरान 2047 तक विकसित भारत का सपना देश के सामने रखा और उस सपने को साकार करने की दिशा में रोडमैप भी तैयार कर देश की 140 करोड़ जनता के सामने रखा। केंद्र सरकार की ओर से तैयार किए जा रहे बजट में विकसित भारत के सपने को गति प्रदान करने की कार्यशैली देखने को मिल रही है।

मांडविया ने कहा कि 1985 में राजीव गांधी ने 21वीं सदी की बात कहीं थी,लेकिन बिना कार्य योजना या फिर रोडमैप के उनका सपना सपना ही रह गया। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में लाल किले से देश के सामने विकसित भारत 2047 के सपने को रखा और इसे साकार करने के लिए रोडमैप भी बताया। उन्होंने कहा था कि देशवासियों को पांच संकल्प लेने चाहिए। इसमें गुलामी की प्रतिकों का त्याग करने,विरासत से प्रेरणा लेने, देश के प्रत्येक नागरिक के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा का माहौल देने और राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

मनसुख मांडविया ने कहा कि आज देश में रोजगार बढ़ा है। युवाओं के हाथ में रोजगार है और इससे देशवासियों का जीवन स्तर में सुधार हुआ है। महिलाओं में रोजगार के अवसर बढ़े है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में पहले बेरोजगारी 6 प्रतिशत थी, जबकि आज देश में बेरोजगारी की दर 3.2 प्रतिशत रह गई है। इसी तर्ज पर महंगाई भी पहले छह प्रतिशत थी, जो आज कम हुई है। पहले युवा बेरोजगारी 17-18 प्रतिशत थी, जो आज कम होकर 10 प्रतिशत पर आ गई। आज देश में 56 फीसदी महिलाएं रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में देश बदला है और नए भारत का निर्माण हो रहा है। 2004 से 2014 तक एक दशक में मात्र 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिए गए है जबकि वर्ष 2014 से 2024 तक 17 करोड़ नए रोजगार निर्माण कर लोगों को नौकरी दी गई है। एक दशक में 8 करोड लोग ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हुए है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट सिर्फ घोषणा ही नहीं है बल्कि मोदी सरकार का संकल्प है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बजट में की गई 1200 से अधिक घोषणाएं तो धरातल पर उतरी तक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर वर्ष का बजट सर्वस्पर्शी विकास का सुनिश्चित करने वाला है। इतना ही नहीं, इस बजट में मध्यम वर्ग की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। मध्यम वर्ग की आय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने 10 साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। जीएसटी से टैक्स का स्लैब कम हुआ, लेकिन देश की इनकम में बढ़ोतरी हुई है। 2014 की तुलना में देश का बजट 3 गुणा बढ़ा है, सरकार की आय भी बढ़ी है और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे रहे है। 2014 में देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख 80 हजार करोड़ ही खर्च हो रहा था, जबकि आज देश के इन्फ्रा पर 11.50 लाख करोड़ खर्च किए जा रहे है। देश का इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो निवेश आएगा और रोजगार बढ़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग को डवलप करने से उद्योग और इन्वेस्टमेंट के लिए योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बजट में इनकम टैक्स में 12 लाख तक छूट देकर मध्यम वर्ग को राहत प्रदान की है।

मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसएमई कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए है, वहीं एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का भी प्रयास किया है। वहीं दूसरी ओर 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया। मोदी सरकार की ओर से पेश किया जा रहा बजट हेल्थी इकॉनोमी की ओर देश का ले जा रहा है। मोदी सरकार ने मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया शुरू किया। विदेशों से आयात करने की बजाय देश में ही उपकरण और दवाईयां बनाने पर कार्य किया गया। कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाया गया, यह बजट लॉन्ग टाइम विजन के साथ एक साल की कार्य योजना है, एक साल का रोड मैप है। मोदी के नेतृत्व में देश में शुद्ध और स्थिर अर्थ तंत्र का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राजस्थान को लेकर कहां कि राजस्थान में अपार संभावनाएं है। खनन क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में चर्चा भी की। मुख्यमंत्री शर्मा प्रदेश की खनन क्षेत्र में अपार क्षमताओं को देखते हुए जागरूक है।

प्रेसवार्ता के दौरान मंच पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी,प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी, विजेंद्र पूनिया, प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, जयपुर शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल उपस्थित रहे।

डॉ मांडविया ने प्रेसवार्ता से पूर्व भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को भी संबोधित किया। डॉ मांडविया ने प्रबुद्धजनों के साथ चर्चा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के बजट को जनहितैषी और लोककल्याणकारी बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने विकसित राजस्थान के सपने के लिए बजट तैयार किया है, इस बजट में हर वर्ग, हर समुदाय को जगह दी गई है। प्रबुद्धजन सम्मेलने में इस दौरान मंच पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, नाहर सिंह जोधा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी, उप महापौर पुनीट कर्नावट और जयपुर शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल उपस्थित रहे।

जयपुर की बेटी नव्या भंडारी ने रचा इतिहास

- जोधपुर एनएलयू से 7 स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम किया रोशन

जयपुर। जयपुर की बेटी नव्या भंडारी ने अपनी अद्भुत मेधा और परिश्रम से जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में इतिहास रच दिया। 2024 में अपनी लॉ डिग्री पूर्ण करने के साथ ही नव्या ने सात स्वर्ण पदक जीतकर विश्वविद्यालय की टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया।

जोधपुर एनएलयू के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नव्या को छह गोल्ड मेडल एवं 5000 रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया। इस उपलब्धि पर उनके परिवार में हर्ष की लहर है। नव्या के पिता विनय भंडारी एवं माता प्रीति भंडारी की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने कहा, "नव्या की मेहनत और लगन ने हमारे सपनों को साकार किया है। यह केवल हमारे परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश के लिए गर्व का क्षण है।"

नव्या अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के बल पर लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छू रही हैं। अपनी शिक्षा के दौरान उन्होंने अकादमिक उत्कृष्टता, कानूनी अनुसंधान और लेखन, मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वर्तमान में वह नोएडा में अमरचंद मंगलदास फर्म में जीएसटी लॉयर के रूप में कार्यरत हैं।

नव्या की यह उपलब्धि केवल उनके परिवार या राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उनकी सफलता उन सभी बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए परिश्रम कर रही हैं।

नव्या के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर दादा-दादी, श्रीमती सुशीला भंडारी एवं श्री एल. एम. भंडारी ने भी गर्व व्यक्त करते हुए कहा, "नव्या ने अपने अथक परिश्रम से परिवार का नाम रोशन किया है। हम उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं।" नव्या अपने जयपुर पूर्व कलेक्टर कुलदीप रांका की भांजी है। आईएएस कुलदीप रांका ने भी नव्या की इस उपलब्धि पर उसे बधाई दी। नव्या भंडारी की इस अद्भुत उपलब्धि के लिए उन्हें ढेरों बधाइयाँ! उनका यह सफर नई पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा और देश का नाम रोशन करता रहेगा।

जयपुर में एंटरप्रेन्योर राउंडटेबल 2025 का सफल आयोजन

कार्यक्रम में अमूल डेयरी के एम.डी.अमित व्यास, आई.सी.सी.राजस्थान की अध्यक्ष जयश्री पैरीवाल और मेटा के ग्लोबल बिजनेस हैड विकास पुरोहित शामिल हुए।

जयपुर। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स और टाई राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में "एंटरप्रेन्योर राउंडटेबल 2025" का आयोजन आईटीसी राजपुताना, जयपुर में संपन्न हुआ। इस आयोजन में तकनीकी नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पारंपरिक उद्योगों में डिजिटलीकरण के प्रभाव पर गहन चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ताओं में अमूल डेयरी के प्रबंध निदेशक, अमित व्यास और मेटा के ग्लोबल बिजनेस हेड, विकास पुरोहित शामिल रहे।

अमित व्यास ने "परंपरागत उद्योगों में तकनीकी नवाचार और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव" विषय पर चर्चा करते हुए बताया कि कैसे डिजिटल साधनों का उपयोग कर व्यवसायों का विस्तार किया जा सकता है और नवाचार को अपनाया जा सकता है। बदलते दौर में व्यवसायों को आगे बढ़ने के लिए माइंडसेट बदलने की जरूरत है। हमें नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। पहले हमें इसे समझना होगा, फिर इसे लागू करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव) स्कीम का लाभ उठाकर अमूल हेल्दी और हाई-प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट की नई रेंज भी विकसित करने जा रहा है।

विकास पुरोहित ने "एआई क्रांति और भविष्य की कंप्यूटिंग" विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती हुई तकनीकों के माध्यम से व्यवसायों को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया जा सकता है।

सैन्य अस्पताल जयपुर में मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का उद्घाटन आज

जयपुर। सेना अस्पताल अनुसंधान और रेफरल (एएचआरआर),नई दिल्ली के विशेषज्ञ नेत्र शल्य चिकित्सकों द्वारा गौरव सेनानियों और परिवारों के लिए मोतियाबिंद सर्जरी शिविर 24 फरवरी से 28 फरवरी तक सैन्य अस्पताल जयपुर में आयोजित किया जाएगा।

एएचआरआर के डॉक्टरों की टीम का नेतृत्व ब्रिगेडियर संजय मिश्रा कर रहे हैं जो एएमसी के एक उच्च पदस्थ नेत्र शल्य चिकित्सक हैं। टीम में लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान अग्रवाल,लेफ्टिनेंट कर्नल रवि चौहान और मेजर अमृता जोशी भी शामिल हैं। तीन से चार दिनों की अवधि में लगभग200से अधिक मोतियाबिंद सर्जरी की जाएंगी। साथ ही300से अधिक गौरव सेनानियों और परिवारों की आंखों की पूरी जांच की जाएगी और मरीजों को चश्मे तथा दवाइयां वितरित की जाएंगी। शिविर का उद्घाटन सप्त शक्ति कमान की क्षेत्रीय अध्यक्ष बरिंदरजीत कौर करेंगी। इस अवसर पर आर्मी कमांडर,सप्त शक्ति कमान और अन्य वरिष्ठ नागरिक व व्यक्ति भी शामिल होंगे।

प्रदेश कांग्रेस सोमवार को विधानसभा घेराव करेगी

- जूली ने पूछा, "क्या सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो क्या सरकार द्वारा गतिरोध को समाप्त करने के सकारात्मक प्रयास किए गए?"

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में भाजपा सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा देश की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. इंदिरा गाँधी का नाम लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने के विरोध तथा मंत्री के आचरण का विरोध कर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा सहित छः विधायकों का विधानसभा से निलम्बन करने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस सोमवार को विधानसभा का घेराव करेगी।

इसी मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल किया है कि क्या सरकार के मंत्री द्वारा दिवंगत प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी को लेकर अनुचित टिप्पणी करने अथवा सदन में तख्तियां लहराये जाने को उचित ठहराया जा सकता है, यदि नहीं तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? जुली ने कहा कि क्या विधानसभा में गतिरोध के लिए सरकार के मंत्री की अवांछित टिप्पणी एवं अमर्यादित आचरण जिम्मेदार नहीं है, यदि है, तो सत्ता पक्ष के मंत्री के स्थान पर प्रतिपक्ष को दंडित क्यों किया गया है? क्या मंत्री द्वारा की गई स्तरहीन टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से निकालकर गतिरोध को टाला जा सकता था? क्या विधानसभा में गतिरोध का मुख्य कारण प्रतिपक्ष को जन भावनाओं की अभिव्यक्तियों से रोका जाना ही था? क्या सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, यदि है, तो क्या सरकार द्वारा गतिरोध को समाप्त किए जाने हेतु गंभीरता पूर्वक सकारात्मक प्रयास किए गए ? क्या मंत्री की अनुचित व अमर्यादित टिप्पणी के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने का विपक्ष को अधिकार नहीं है ? जवाब तो देना पड़ेगा दूसरी ओर कांग्रेस ने विधानसभा में भाजपा सरकार के मंत्री द्वारा देश की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. इंदिरा गाँधी के संदर्भ में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर टिप्पणी की जिसका विरोध करते हुये कांग्रेस विधायक दल ने मंत्री से अपने शब्द वापस लेने एवं माफी मांगने की मांग की। भाजपा सरकार के मंत्री ने हठधर्मिता दिखाते हुये माफी नहीं मांगी ,बल्कि मंत्री के आचरण का विरोध कर रहे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा सहित छः विधायकों को निलम्बित कर दिया गया। कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस विधायक पिछले दो दिन से विधानसभा के अन्दर धरने पर बैठे हैं। मंत्री द्वारा माफी मांगने तथा प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा सहित छः विधायकों के निलम्बन को निरस्त करने की मांग को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सोमवार 24 फरवरी को विधानसभा घेराव कर विरोध-प्रदर्शन करेगी। विधानसभा घेराव के लिये प्रदेशभर से कांग्रेस नेता एवं नेता प्रातः 10 बजे सहकार भवन के समीप निर्धारित स्थान पर एकत्रित होकर विधानसभा के लिये मार्च करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन 9 मार्च को

जयपुर। गौड़ ब्राह्मण महासभा राजस्थान युवा प्रदेश अध्यक्ष पंकज पचलंगिया ने बताया कि महासभा के द्वारा 18वां अंतराष्ट्रीय युवक युवती परिचय सम्मेलन दिनांक 9 मार्च 2025 के पोस्टर का विमोचन उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा के द्वारा किया गया साथ में गौड ब्राह्मण महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष विजय हरितवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बासोतिया युवा प्रदेश अध्यक्ष पंकज पचलंगिया एडवोकेट आदि उपस्थित रहे कार्यक्रम में प्रस्तुत होने के लिए निमंत्रण दिया। परिचय सम्मेलन भगवान परशुराम भवन सेक्टर 4 विद्याधर नगर जयपुर में आयोजित किया जाएगा। अब तक समाज के 50 हजार से अधिक परिवारों को इसका लाभ प्राप्त हो चुका है। पंकज पचलंगिया ने बताया बायोडाटा को परिचय सम्मेलन की पुस्तिका युगल दर्पण में प्रकाशित किया जा रहा है।

'रीट परीक्षा की सुचिता एवं पारदर्शिता के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी'

- राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक का हुआ आयोजन
- जिला कलक्टर एवं पुलिस आयुक्त ने स्ट्रांग रूम में भी व्यवस्थाओं का लिया जायजा

जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी एवं पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने रविवार को अधिकारियों को निर्देश दिये।

जयपुर। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आगामी 27 एवं 28 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट-2024) के सफल आयोजन की तैयारियों में जुटा है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी एवं पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने रविवार को परीक्षा के आयोजन को लेकर जयपुर के एक निजी विद्यालय के सभागार में बैठक ली। बैठक में समस्त केंद्र अधीक्षकों, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षकों, प्रश्न पत्र समन्वयकों, ओएमआर समन्वयकों को सफल बनने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये।

बैठक में अधिकारियों को परीक्षा के आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी गई। बैठक के पश्चात जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी एवं पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने स्ट्रांग रूम का दौरा किया एवं सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने एवं समस्त आवश्यक इंतजाम दुरुस्त रखने के निर्देश दिये।

जिला परीक्षा संचालन समिति के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) गोपाल सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि परीक्षा के आयोजन के दौरान पेपर लीक एवं नकल सहित अन्य प्रकार की विधि विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के यह हैं प्रावधान राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम-2022 (2022 का अधिनियम संख्याक 6) एवं संशोधन अधिनियम 2023 (2023 का अधि. संख्याक-17) की धारा 10 (1) के अन्तर्गत 3 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना से दंडित किया जाएगा, जुर्माना नहीं होने पर 9 माह के कारावास से दण्डित किया जाएगा। इसी तरह धारा 10 (2) के अन्तर्गत 10 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना 10 लाख रूपये जो 10 करोड़ तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा, जुर्माना नहीं देने पर 5 वर्ष का कारावास और हो सकेगा। इस प्रकार के संगीन अपराध करने पर दोषी व्यक्तियों की सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण भी किया जा सकेगा।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

मेरे आवास 62-289, हीरा पथ मानसरोवर जयपुर का मूल आवंटन पत्र और कब्जा पत्र कही खो गया है जो राज. आवासन मण्डल द्वारा जारी है कृपया मिलने पर सूचित करें रजनी वासवानी-7792829127

न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अशोकनगर
प्र०क०आर सी एस ए 89/2024
कमलकांत आदि...वादीजन
बनाम गिर्राज किशोरी आदि...प्रतिवादीजन
विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वादीजन कमलकांत पुत्र रामगोपाल निवासी शाढौरा और उसके भाईयों एवं श्रीमति शान्तिबाई पत्नि हरिओम और उसके पुत्रो व उषा पत्नि अमरीश शर्मा और उसके पुत्र एवं पुत्री ने एक वादपत्र भूमि स्थित शाढौरा के भूमि सर्वे क्रमांक 1369, 2169, 2167, 2174, 2197, 2198 2324/1, 2420/1. 2589 कुल किता 9 कुल रकबा 12.501 है० एवं भूमि स्थित ग्राम सेमरी लोहाबाद के भूमि सर्वे क्रमांक 42/5, 43, 45, कुल किता 3 कुल रकबा 7.295 है० एवं भूमि स्थित ग्राम बलदाई के भूमि सर्वे क्रमांक 71, 72, 123 कुल किता 3 कुल रकबा 3.336 है० एवं भूमि स्थित ग्राम मुहाल मिलक के भूमि सर्वे क्रमांक 25/4 रकबा 0.936 है० के संबंध में आप गिर्राज किशोर पत्नि राजेन्द्र शर्मा पुत्री स्व० बद्री प्रसाद शर्मा निवासी विदिशा रोड अशोकनगर एवं निशि शर्मा पत्नि श्री अखलेश उपाध्याय पुत्री स्व० बद्री प्रसाद शर्मा निवासी एफ -14 वैशाली नगर जयपुर राजस्थान एवं अन्य के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत वाद प्रस्तुत किया है जो इस न्यायालय में प्र०क० आर. सी. एस. ए. 89/24 कमलकांत आदि बनाम गिर्राज किशोरी पर विचाराधीन है जिसमें आगामी दिनांक 28.02.2025 नियत है । इसमें आपको अपनी ओर से अपना पक्ष समर्थन रखना है तो आप नियत दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हो अन्यथा की स्थिति में प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी ।

मुहर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
कनिष्ठ खण्ड अशोकनगर म०प्र०

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य मुजीब खान पुत्र दीन मोहम्मद निवासी मोहम्मदपुर, माइई, शिकोहाबाद, तहसील शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद, उत्तरप्रदेश के पिता दीन मोहम्मद खान का स्वर्गवास दिनांक 08.10.2022 को चुका है। मेरा अभिभाष्य विधिक वारिस है इस हैसियत से मेरे अभिभाष्य का दीन मोहम्मद खान की समस्त चल अचल सम्पत्तियों में हक व हिस्सा है। मेरे अभिभाष्य के पिता की मृत्यु उपरांत दीन मोहम्मद खान की पत्नी व अन्य पुत्र पुत्रियां/वारिसान उक्त दीन मोहम्मद खान के स्वामित्व की सम्पत्ति वाके स्थित ए-18, करीम नगर विस्तार, खो-नागोरियान जयपुर, राजस्थान व मोहम्मदपुर, माइई, शिकोहाबाद, तहसील शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद, उत्तरप्रदेश स्थित खातेदारी भूमि गाटा यूनिक कोड 821(1260410821000012) कुल क्षेत्रफल 0.3600 हैक्टेयर व गाटा यूनिक कोड 975(1260410975000012) कुल क्षेत्रफल 0.1130 हैक्टेयर जिसमें मेरे अभिभाष्य का कानूनी हक हिस्सा निहित है से मेरे अभिभाष्य को वंचित करने के उद्देश्य से दीन मोहम्मद खान के उक्त वारिसान उक्त वर्णित सम्पत्तियों को मेरे अभिभाष्य की सहमति व जानकारी के बिना बेईमानी व धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से खुर्द बुर्द बेचान करने की फिराक में है। यदि कोई भी व्यक्ति/संस्था/बैंक/वित्तीय संस्था /संगठन/सरकारी, अर्धसरकारी महकमा मेरे अभिभाष्य की सहमति व उसे लिखित सूचना दिये बिना उक्त वर्णित सम्पत्तियों के बारे में किसी तरह का कोई संव्यवहार, खरीद, बेचान, रहन, बैय, बख्शीश आदि करता है तो ऐसा संव्यवहार शून्य व निष्प्रभावी होकर अपराध माना जावेगा तथा मेरे अभिभाष्य द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों व हर्जे खर्चे आदि का स्वयं जिम्मेदार होगा। सूचित रहें।
भवदीय जावेद अली
दिनांक: 22.02.2025 (राज. उच्च न्यायालय), मो.- 9001725554

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 55/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री सलविन्दर सिंह सोहता पुत्र श्री बिशन सिंह निवासी 67/137 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड प्रतापनगर, 06 सांगानेर, जयपुर 302033 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत राजस्थान प्रशासनिक सेवा (पदोन्नत) संस्थान कार्यालय पता-प्लॉट नं. सी-148-149, सिद्धार्थ नगर, जवाहर सर्किल, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 14.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 25.04.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय नगर परिषद दौसा
Email ID-lalsot.jaipur@yahoo.com Ph.-01427-220054
क्रमांक-भूमि/90ए/7255 दिनांक-21.02.2025
प्रारूप 10 नियम 6(7) देखिए
प्राधिकृत अधिकारी दौसा
सूचना

1. श्रीमती अन्नपूर्णा पत्नि स्व. श्री तीर्थनारायण हिस्सा 1/24 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार 2. श्री कमल कान्त शर्मा पुत्र श्री अरूण कुमार शर्मा हिस्सा 23/120 जाति ब्राह्मण 3. श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री तीर्थनारायण हिस्सा 1/24 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार 4. श्री मदन लाल मीना पुत्र शम्भुदयाल मीना हिस्सा 1/3 जाति मीना 5. श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा हिस्सा 7/30 जाति ब्राह्मण 6. श्री शम्भुदयाल पुत्र हरिशंकर हिस्सा 1/30 जाति ब्राह्मण 7. श्री शिवरतन पुत्र श्री कैलाशप्रसाद हिस्सा 1/48 जाति ब्राह्मण 8. श्रीमती सावित्री पुत्री श्री महादेव प्रसाद हिस्सा 5/48 जाति ब्राह्मण निवासी दौसा राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषक आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपनेअभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात

क्र.सं.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
1	दौसा	दौसा कलां	1949	0.34 है.
2	दौसा	दौसा कलां	1950	0.36 है.
3	दौसा	दौसा कलां	1952	0.12 है.
4	दौसा	दौसा कलां	1953	0.26 है.
5	दौसा	दौसा कलां	1954	0.34 है.
6	दौसा	दौसा कलां	1959	0.16 है.
7	दौसा	दौसा कलां	1960	1.18 है.
कुल				1.76 है.

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज .... को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, दौसा

कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय)
रणथम्भौर टाईगर रिजर्व करौली
Mail ID-decfb.kroli.forest@rajasthan.gov.in Phone No. 07464-297007
क्रमांक-एफ ()आरटीसीएफ/स्टोर/उवसं (द्वितीय)/2024-25/814 दिनांक-21.02.2024

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत लाखों में (लगभग)	अमानत राशि	निविदा शुल्क	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इस कार्यालय अंतर्गत रेंज अधीन नाका, चौकी में स्टॉफ के रहने हेतु फर्नीचर (बैड/तखत) मय गद्दे,बैडशीट मय तकिए क्रय हेतु	4,50,000/-	9000/-	500/-	दिनांक 19.2.25 से 25.2.25 समय 12.00 बजे तक	दिनांक 25.2.25 समय 2.00 पी.एम.तक	दिनांक 25.2.25 समय 4.00 पी.एम.
2	इस कार्यालय अंतर्गत रेंज में स्टॉफ को पीने के पानी के लिए वॉटर कूलर क्रय हेतु	2,00,000/-	4000/-	500/-	दिनांक 19.2.25 से 25.2.25 समय 12.00 बजे तक	दिनांक 25.2.25 समय 2.00 पी.एम.तक	दिनांक 25.2.25 समय 4.00 पी.एम.
3	डिबीजन कार्यालय, आवास पुताई एवं मरम्मत कार्य	4,99,000/-	9980/-	500/-	दिनांक 19.2.25 से 25.2.25 समय 12.00 बजे तक	दिनांक 25.2.25 समय 2.00 पी.एम.तक	दिनांक 25.2.25 समय 4.00 पी.एम.

NIB NO. FOR2425A3230, FOR2425A3231, FOR2425A3299
UBN NO. FOR2425GSOB04627, FOR2425GSOB04628, FOR2425GSOB04626
नोट- निविदा की शर्ते http://sppp.rajasthan.gov.in देखी जा सकती है।
(पीयूष कुमार शर्मा)
उप वन संरक्षक उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय)
रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, करौली